**संख्या- 32/1280/बयालिस-2016-12(विविध)/2013**

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक : 12 जुलाई, 2016**

**विषय :- जनपद एटा की तहसील अलीगंज में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 321/नि0एटा0स्टे00पत्रा0/2016-17, दिनांक 23 जून, 2016 तथा शासनादेश संख्या- 2113/बयालिस-2015-12(विविध)/2013, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद एटा की तहसील अलीगंज में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 816.05 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष- 2016-17 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 716.05 लाख (रू0 सात करोड़ सोलह लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 716.05 लाख (रू0 सात करोड सोलह लाख पाँच हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(5)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(7)- प्रायोजनान्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- शासनादेश संख्या- 2113/बयालिस-2015-12(विविध)/2013, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2016-17 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-95-जनपद एटा की तहसील अलीगंज में स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 32/1280(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, एटा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, आगरा/क्रीड़ाधिकारी, एटा ।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।